उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-38/2025/935/77-6-2025/01 (जी0सी0सी0)/2024

लखनऊ : दिनांक 07 मई, 2025

अधिसूचना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल "उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंन्द्र नीति-2024 को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- "उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंन्द्र नीति-2024" संलग्न है।

आलोक कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-38/2025/935(1)/77-6-2025/01 (जी0सी0सी0)/2024

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिवप्रमुख सचिव//सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 ।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
12. समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
पीयूष वर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

INVEST UP

उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2024

(Uttar Pradesh Global Capability Centres (GCC) Policy 2024)

विषय-सूची

1. प्रस्तावना — पृष्ठ 3

2. उत्तर प्रदेश: भारत में उदीयमान वैश्विक क्षमता केंद्र गंतव्य — पृष्ठ 4

3. नीतिगत फ्रेमवर्क — पृष्ठ 9

4. वित्तीय प्रोत्साहन — पृष्ठ 14

5. गैर-वित्तीय प्रोत्साहन — पृष्ठ 25

6. कार्यान्वयन संरचना — पृष्ठ 27

प्रस्तावना- वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन्स (एमएनसी) हेतु महत्वपूर्ण रणनीतिक परिसंपत्ति सिद्ध हो रहे हैं, जो उत्पादों के विकास, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई), डेटा एनालिटिक्स एवं साइबर सुरक्षा जैसे प्रमुख व्यावसायिक कार्यों हेतु नवाचार केंद्र के रूप में कार्यरत हैं। जीसीसी मूल रूप से लागत-प्रभावी बैक-ऑफिस इकाइयों के रूप में परिकल्पित किए गए थे, वर्तमान में उक्त केंद्र वैश्विक मूल्य सृजन, डिजिटल परिवर्तन तथा तकनीकी नवाचार के प्रमुख संचालक के रूप में विकसित हुए हैं। जीसीसी द्वारा अभियंत्रण (इंजीनियरिंग), अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी) तथा उन्नत विश्लेषण सहित उच्च-मूल्य संचालन को सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है।

भारत द्वारा जीसीसी सेक्टर में स्वयं को वैश्विक स्तर पर अग्रणी तथा सुदृढता से स्थापित किया गया है एवं अनुमान है कि वर्ष 2030 तक इसका घरेलू बाजार लगभग 110 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा, जो सॉफ्टवेयर निर्यात द्वारा संचालित है। वर्ष 2024 तक भारत के वैश्विक क्षमता केंद्र उद्योग ने 1.9 मिलियन से अधिक विशेषज्ञों को रोजगार दिया एवं अर्थव्यवस्था में 64.6 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 1% से अधिक है। वर्ष 2030 तक भारत में जीसीसी की संख्या 1,700 से बढ़कर 2,400 से अधिक होने की सम्भावना है, जिसमें 2,550 केंद्रों तक संभावित विस्तार हो जाएगा, जिससे 25 लाख से अधिक रोजगारसृजित होंगे। नवीन वैश्विक क्षमता केंद्रों की वार्षिक स्थापना 70 से 115 होने की सम्भावना है, जो वैश्विक प्रौद्योगिकी तथा सेवा केंद्र के रूप में भारत के नेतृत्व को सशक्त करेगी।

वैश्विक क्षमता केंद्रों का विकास प्रभावशाली रहा है, जो साधारण बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) केंद्रों से नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (केपीओ) एवं बहुक्रियाशील केंद्रों में परिवर्तित हुए है। जीसीसी अब उत्पादों का एआई-संचालित विकास, साइबर सुरक्षा, इंजीनियरिंग अनुसंधान तथा उन्नत विश्लेषण जैसे अधिक जटिल, उच्च-मूल्य वाले कार्यों का प्रबंधन करते हैं। मशीन लर्निंग (एमएल), क्लाउड कंप्यूटिंग तथा रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) जैसी तकनीकों के आने से इन केंद्रों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नवाचार रणनीतियों हेतु अपरिहार्य बना दिया है।

उत्तर प्रदेश अपनी रणनीतिक स्थिति, युवा कार्यबल एवं प्रगतिशील अवस्थापना के साथ इस उन्नति का लाभ प्राप्त करने हेतु अग्रसर है। अवस्थापना विकास, प्रतिभा संवर्धन एवं वित्तीय प्रोत्साहनों पर केंद्रित कार्यवाही से राज्य सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश को जीसीसी निवेशों हेतु

एक अग्रणी गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। बीडीओ इंडिया (बेल्जियम में मुख्यालय) जैसी प्रमुख उद्योग कंपनियों ने नोएडा को अपने वैश्विक क्षमता केंद्र हेतु निवेश स्थल के रूप में चयनित किया है, जो उत्तर प्रदेश के व्यापार-अनुकूल वातावरण को रेखांकित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार एआई एवं साइबर सुरक्षा जैसे उदीयमान क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को भी प्रोत्साहित कर रही है, जिससे जीसीसी पारिस्थिति की तंत्र में वैश्विक स्तर पर उत्तर प्रदेश की भूमिका सुदृढ होगी।

2. उत्तर प्रदेश: भारत में उदीयमान वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) गंतव्य

2.1. क्षेत्रीय (सेक्टोरल) लाभ:

वैश्विक क्षमता केंद्र, आईटी सेवाओं, वित्त एवं लेखा, मानव संसाधन एवं ग्राहक सहायता सहित विभिन्न सेवा क्षेत्रों में संचालित हैं। जीसीसी द्वारा एनालिटिक्स, डेटा प्रबंधन व अनुसंधान एवं विकास जैसे जटिल कार्यों का संचालन करते हुए मूल्य श्रृंखला को सशक्त बनाया गया है, जिनके लिए गहन व्यावसायिक अंतर्दृष्टि तथा विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। वर्तमान में, भारत में जीसीसी ने प्रमुख क्षेत्रों में एक सुदृढ उपस्थिति स्थापित की है, जिसमें सॉफ्टवेयर व प्रौद्योगिकी 38%, बीएफएसआई (बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा) 6%, दूरसंचार एवं नेटवर्किंग 5% तथा औद्योगिक, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन एवं निर्माण, मीडिया व मनोरंजन एवं सेमीकंडक्टर (प्रत्येक 4%) सम्मिलित हैं। अन्य क्षेत्रों में रसायन एवं सामग्री (4%), फार्मास्यूटिकल्स (2%), ऊर्जा एवं जनोपयोगी सेवाएं (2%), चिकित्सा उपकरण (1%) सम्मिलित हैं, इसके अतिरिक्त एयरोस्पेस, तेल व गैस तथा स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी उपस्थिति में वृद्धि हो रही है।

जीसीसी सेक्टर्स को मुख्यतः अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अपस्ट्रीम क्षेत्र अत्यधिक विशिष्ट व ज्ञान-प्रधान हैं, जिनके विकास हेतु आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, डीप-टेक एवं रोबोटिक्स जैसे औद्योगिक समूह के पूर्व से उपस्थित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, डाउनस्ट्रीम क्षेत्र वृहद व्यवसायों पर निर्भर किए बिना संचालित हो सकते हैंएवं उन्हें एक कुशल कार्यबल, गुणवत्तापूर्ण अवस्थापना एवं व्यवसाय-अनुकूल शासन के साथ कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। इनमें बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, सॉफ्टवेयर व प्रौद्योगिकी, एवं ऊर्जा व उपयोगिताएँ जैसे क्षेत्र सम्मिलित

हैं। वर्तमान में, भारत में अपस्ट्रीम क्षेत्र सभी वैश्विक क्षमता केंद्रों के लगभग 25% प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि डाउनस्ट्रीम क्षेत्र कुल वैश्विक क्षमता केंद्रों के लगभग 75% हैं।

उत्तर प्रदेश पूर्व से ही गौतम बुद्ध नगर सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु एक जीसीसी हब के रूप में स्थापित है। इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन व विनिर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा सेक्टर में सुदृढ़ उपस्थिति के साथभारत में इन क्षेत्रों में निर्यात का सर्वाधिक योगदान तथा 3,50,000 से अधिक प्रोफेशनल्स को रोजगार देने के साथ, उत्तर प्रदेश संबंधित डाउनस्ट्रीम वैश्विक क्षमता केंद्रों को आकर्षित करने हेतु बेहतर विकल्प है। राज्य में 200 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन व विनिर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं, जिनमें सैमसंग, ओप्पो, हायर, एनटीटी, एसटीटी ग्लोबल, वेब-वर्क्स, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एडोब एवं माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रमुख वैश्विक ब्रांड सम्मिलित हैं। अतः, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं एवं बीमा, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य एवं मेडिकल डिवाइस सहित डाउनस्ट्रीम जीसीसी सेक्टर्स का मुख्य केंद्र बनने की क्षमता है।

2.2. सक्षम अवस्थापना सुविधाएं:

उत्तर प्रदेश सरकार व्यवसाय में वृद्धि का समर्थन करने हेतु अवस्थापना के विकास हेतु प्रतिबद्ध है। विगतपांच वर्षों में, उत्तर प्रदेशमें अवस्थापना के पूंजीगत व्यय में ₹5.31 लाख करोड़ का निवेश किया गया है, जो भारत में सर्वाधिक है। यह निवेश गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में परिलक्षित होता है, जिनका उद्देश्य पीएम गतिशक्ति योजना के अंतर्गत माल ढुलाई को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश अयोध्या, कुशीनगर, लखनऊ, वाराणसी एवं आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के साथ20 घरेलू हवाई-अड्डों के माध्यम से वैश्विक रूप से जुड़ा हुआ है, जो संचालित व प्रस्तावित हैं।

उत्तर प्रदेश में 40 से अधिक आईटी पार्क एवं 25 विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एस ई ज़ेड) हैं, जो आधुनिक, उपयोग हेतु तैयार कार्यालय स्थल (ऑफिस स्पेस) उपलब्ध कराते हैं। नोएडा जीसीसी हेतु एक प्रमुख गंतव्य बन गया है, जो विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर में वैश्विक प्रौद्योगिकी एवं विनिर्माण कंपनियों से महत्वपूर्ण निवेश आकर्षित कर रहा है। प्रदेश उत्तर भारत में डेटा सेंटर व सेमीकंडक्टर हब के रूप में स्थापित हुआ है, जिसके अंतर्गत योट्टा, एसटीटी ग्लोबल एवं वेब वर्क्स जैसी प्रमुख कंपनियाँ उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार

ने हाल ही में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के पास 1,000 एकड़ के सेमीकंडक्टर पार्क की घोषणा की है, जिसको यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क तथा रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम का लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, राज्य यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क (250 एकड़), एक डेटा सेंटर पार्क एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर्स हैं। लखनऊ में (40 एकड़) में एक एआई सिटी की योजनाउत्तर प्रदेशमें अवस्थापना सुविधाओं को रेखांकित करती है। एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप (750 एकड़), मेडिकल डिवाइस पार्क (350 एकड़) तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में फिनटेक पार्क जैसी सुविधाओं के साथ प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) विकास का समर्थन करता है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) उत्तर प्रदेश में प्रतिस्पर्धी ग्रेड ए ऑफिस स्पेस किराए पर उपलब्ध कराता है, जिसमें नोएडा का औसत किराया भारत के अन्य प्रमुख शहरों की तुलना में प्रतिस्पर्धी है। एसटीपीआई वर्तमान में कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, नोएडा तथा मेरठ में संचालित हैं, जो लगभग 300 पंजीकृत आईटी इकाइयों को सेवा प्रदान कर रहे हैं, जबकि आगरा, बरेली, गोरखपुर व वाराणसी हेतु नए एसटीपीआई की योजना बनाई गई है।

2.3. प्रतिभावान कार्यशक्ति की उपलब्धता:

भारत में वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) की वृद्धि देश के विशाल प्रौद्योगिकी प्रतिभा की प्रचुरता एवं डिजिटल नवाचार हेतु अनुकूल वातावरण को चिन्हांकितकरती है। भारत के जीसीसी कार्यबल में लागत-प्रतिस्पर्धी औसत वेतन पर लगभग 16 लाख प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं। विभिन्न शैक्षणिक एवं तकनीकी संस्थानों द्वारा इस प्रतिभावान कार्यबल की निरंतरपूर्ति की जा रही है, जिससे इंजीनियरिंग, डेटा विज्ञान, आईटी व वित्त में विशेषज्ञों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती है।

प्रदेश की लगभग 56% जनसंख्या कार्यशील आयु वर्ग (18-60 वर्ष)के अंतर्गत है, जिससे उत्तर प्रदेश को एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ प्राप्त होता है, जो देश में उच्च रोजगारपरक संसाधनों की सुलभता को परिलक्षित करता है। उत्तर प्रदेश प्रति वर्ष लगभग 12.75 लाख स्नातकों को शिक्षित करता हैतथा इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार, प्रदेश युवाओं हेतु रोजगार की उपलब्धता में शीर्ष राज्यों में सम्मिलित है, जो जीसीसी क्षेत्र में बढ़ती मांग की पूर्ति करने हेतु कुशल प्रोफेशनल्स के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। व्हीलबॉक्स रिसर्च के

अनुसार, उत्तर प्रदेश में 22-25 आयु वर्ग में रोजगार-योग्य प्रतिभाओं की सबसे अधिक भागीदारी है, जिसमें 74.77% आवेदक अत्यधिक रोजगार-योग्य माने जाते हैं।

उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अवस्थापनासेक्टर में देश में अग्रणी राज्य है, यहाँ 8,375 उच्च शिक्षा संस्थान, 72 से अधिक विश्वविद्यालय, लगभग 6,000 महाविद्यालय एवं 168 पॉलिटेक्निक में 125,000 से अधिक सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में एक सुदृढ़ व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली भी है, जिसमें उ.प्र. कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) के अंतर्गत 3,000 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) एवं 1000 से अधिक प्रशिक्षण सहभागी हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, आईआईएम लखनऊ, आईआईआईटी तथा एनआईटी प्रयागराज जैसे प्रतिष्ठित संस्थान यहाँ स्थित हैं, जो राज्य की सुदृढ़ शैक्षणिक नींव में योगदान दे रहे हैं। वर्ष 2014 से यूपीएसडीएम के अंतर्गत लगभग 18,000 कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 17 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रदान किया है।

उत्तर प्रदेश अपने विशाल, शिक्षित कार्यबल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के निकट रणनीतिक स्थिति एवं नोएडा, गाजियाबाद तथा लखनऊ जैसे तीव्रता से विकसित हो रहे शहरी केंद्रों के कारण वैश्विक कॉर्पोरेशन्स को आकर्षित करने हेतु विशिष्ट स्थिति में है। चूंकि आगामी वर्षों में जीसीसी सेक्टर में दोगुने कार्यबल की अपेक्षा है, अतः टियर-2 शहरों की ओर ध्यानाकर्षण हो रहा है, जहां कुशल प्रतिभाओं की सुलभता है।

लखनऊ, विशेष रूप से, जीसीसी हेतु एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है, विशेषतः आईटी/आईटीईएस फर्मों हेतु,जिनको लागत-कुशल संचालन एवं विशाल कुशल व प्रतिभावान कार्यबल की आवश्यकता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) द्वारा लखनऊ को टेक स्टार्टअप हेतु एक केंद्र के रूप में मान्यता दिए जाने के साथ, यह शहर वेब डेवलपमेंट में अग्रणी बन रहा है तथा एडटेक, हेल्थटेक व रिटेलटेक की ओर अग्रसर है। नैसकॉम ने लखनऊ एवं कानपुर को आईटी व बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट (बीपीएम) उद्योगों हेतु उदीयमान केंद्रों के रूप में भी मान्यता भी प्रदान की है।

2.4. नवाचार पारिस्थिकी तंत्र:

बहुराष्ट्रीय कंपनियों हेतु मात्र बैक ऑफिस के रूप में कार्य करने से अधिक, जीसीसी अतिरिक्त राजस्व स्रोत उत्पन्न करने एवं वैश्विक समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे

हैं। जीसीसी अधिकाधिक स्टार्टअप्स में निवेश कर रहे हैं तथा उनके साथ सहयोग कर रहे हैं, जिससे नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय योगदान प्राप्त हो रहा है। भारत में, जीसीसी द्वारा देश के सुदृढ़ अभियंत्रण अनुसंधान एवं विकास (ईआरएंडडी) सेवा प्रदाता समुदाय, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र एवं नॉलेज बेस का लाभ उठाते हुए 15 से अधिक इनक्यूबेटर्स, 40 से अधिक एक्सेलेरेटर तथा विभिन्न सहभागिता कार्यक्रम स्थापित किए गए हैं।

नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में कुल पंजीकृत स्टार्टअप्स में से लगभग 9% उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। लगभग 13,299 स्टार्टअप्स के साथ, विशेष रूप से टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में, प्रदेश स्टार्टअप्स की संख्या में चौथे स्थान पर है, जो जीसीसी को संचालन स्थापित करने में लाभ प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य आगामी दशक में प्रति वर्ष 1,00,000 युवाओं को वित पोषित करना है, जिससे 10 लाख नए स्टार्टअप्स स्थापित करने में सहायता प्राप्त होगी।

प्रदेश में वर्तमान में 23 जनपदों में 63 इनक्यूबेटर एवं 08 उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) हैं, जो एआई व एमएल, ब्लॉकचेन, 5जी/6जी, ड्रोन, मेडी इलेक्ट्रॉनिक्स तथा स्वास्थ्य सूचना विज्ञान जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना 10 लाख वर्ग फीट के संयुक्त स्थान के साथ न्यूनतम 100 इनक्यूबेटर्स स्थापित करने की है, जिससे 10,000 स्टार्टअप्स हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। उत्तर प्रदेश पेटीएम, पेटीएम मॉल, इंडिया मार्ट, मोग्लिक्स, पाइन लैब्स, इनोवैसर, इन्फोएज एवं फिजिक्स वालाह जैसे यूनिकॉर्न (अर्थात् 10 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्यवाले स्टार्टअप) के साथ-साथ सूनीकॉर्न व मिनीकॉर्न का हब बन रहा है।

उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा में आईआईटी कानपुर (एआई, ड्रोन प्रौद्योगिकी, 5जी/6जी में विशेषज्ञता), आईआईएम लखनऊ (ब्लॉकचेन) एवं एसपीजीपीआई लखनऊ (मेडटेक) जैसे विश्वस्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के कारण वृद्धि हुई है, जो अनुसंधान, नवाचार एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करते हैं। उक्त उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) जीसीसी को रणनीतिक साझेदारी व नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं।

2.5. अनुकूल निवेश वातावरण:

विगत दो वर्षों से निरंतर 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' की रैंकिंग में एक 'अचीवर स्टेट' के रूप में उत्तर प्रदेश निवेश एवं व्यवसाय के संचालन हेतु एक बेहतर वातावरण प्रदान करता है। श्रम

विनियमन, भूमि प्रशासन, सूचना तक पहुंच व पारदर्शिता तथा निर्माण परमिट जैसे कई सुधार क्रियान्वित किए गए हैं। निवेश मित्र, सबसे बड़ा समर्पित सिंगल विंडो क्लीयरेंस पोर्टल, स्वीकृतियों को समयबद्ध रूप व शीघ्रता से प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत43 विभागों की 490 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है तथा यह 4,500 से अधिक अनुपालनों को सफलतापूर्वक कम करने में सहायक सिद्ध हुआ है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों की सुविधा हेतु एक व्यापक फ्रेमवर्क विकसित किया गया है। समझौता-ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया को सरल बनाने एवं निवेशक को उचित सहायता प्रदान करने हेतुएक ऑनलाइन इन्वेस्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे "निवेश सारथी" के रूप में जाना जाता है, जो निवेशकों हेतु उनके संशयों/आपत्तियों पर सहज प्रतिक्रिया, शिकायतों का निस्तारण, निवेश आशय दर्ज करने, सुविधा प्राप्त करने तथा उनके निवेश परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। "निवेश सारथी" ने उत्तर प्रदेश में निवेशकों से जुड़ने की संपूर्ण प्रक्रिया में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। इसमें निवेशकों की सहायता हेतु समर्पित रिलेशनशिप मैनेजर के रूप में 100 उद्यमी मित्रों को मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र के रूप में नियुक्त करना सम्मिलित है।

पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार की एक समर्पित संस्था -इन्वेस्ट यूपी, राज्य में अपना व्यवसाय स्थापित करने की योजना बनाने वाले निवेशकों को आवश्यक सहायता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी/आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, सेमीकंडक्टर, स्टार्ट-अप, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग व लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने हेतु लगभग 27 प्रोत्साहन नीतियों को प्रख्यापित किया गया हैएवं नीति-संचालित प्रशासन के माध्यम से औद्योगिक विकास हेतु एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने में विभिन्न सुधार क्रियान्वित किएगए हैं। उक्त नीतियां अनुसंधान एवं विकास, नवाचार तथा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु निजी कंपनियों को आकर्षित करती हैं,जिसके परिणामस्वरूप, उत्कृष्टता, कौशल एवं अनुसंधान तथा विकास केंद्र स्थापित करने हेतु आकर्षक सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है।

3. नीतिगत् फ्रेमवर्क

3.1. उत्तर प्रदेश में आवश्यकता एवं महत्व

उत्तर प्रदेश में जीसीसी की स्थापना से राज्य की आर्थिक वृद्धि एवं रोजगार सृजन पर उल्लेखनीय व सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, आईटी सेवाओं, परामर्श व इंजीनियरिंग में इसका विशेष लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, जीसीसी टियर-1, टियर-2 एवं टियर-3 शहरों को विकसित करने में सहयोग करेंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी एवं शहरी व ग्रामीण आय-असमानताओं को कम किया जा सकेगा। टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में जीवन-यापन की कम लागत तथा नवीन अवस्थापना विकास के साथ वैश्विक कंपनियों हेतु लागत-प्रभावी समाधान उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे वे नवीन जीसीसी निवेशों हेतु आकर्षक गंतव्य हैं।

इसके अतिरिक्त, जीसीसी की उपस्थिति से प्रदेश में अवस्थापना विकास में वृद्धि होगी, जिसमें आईटी पार्क, सह-कार्यशील स्थान (को-वर्किंग स्पेसेज़) एवं विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (एसईजेड) का विस्तार सम्मिलित है। इससे कनेक्टिविटी तथा व्यापार करने में आसानी होगी, जिससे उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशकों हेतु एक अधिक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित होगा।

3.2. विज़न

1. उत्तर प्रदेश अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, विशाल प्रतिभा संसाधन एवं उत्कृष्ट अवस्थापना का लाभ उठाकरवैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) सेक्टर में स्वयं को वैश्विक रूप से अग्रणीराज्य के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना करता है। राज्य का लक्ष्य एक सुदृढ पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है, जो नवाचार, उद्यमशीलता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करे, जिससे स्वदेशी तथा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अपने जीसीसी स्थापित करने हेतु आकर्षित हों।

2. प्रदेश सरकार का आशय है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भविष्य की आवश्यकताओं को लक्षित करके उत्तर प्रदेश को उच्च-मूल्य वाली डिजिटल सेवाओं, अनुसंधान एवं विकास तथा इंजीनियरिंग हेतु एक प्रमुख गंतव्य में परिवर्तित किया जाए। इनमें एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा जैसे उदीयमान क्षेत्र सम्मिलित हैं, जो वैश्विक व्यवसायों हेतु महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।

3. इसके अतिरिक्त, नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को भारत हेतु नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जिससे कंपनियों को उन्नत विनिर्माण, डिजिटल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस एवं ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्र

(सीओई) स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। अनुकूल व्यावसायिक वातावरण, उच्च गुणवत्ता वाली अवस्थापना सुविधाओं एवं विनियामक सहायता प्रदान करके, राज्य का लक्ष्य अपने प्रौद्योगिकी आधारित प्रतिभावान कार्यबल को दोगुना करना एवं जीसीसी हब के रूप में अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना है।

4. इस विज़नमें उन शहरों में नगरीय सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं मनोरंजक सुविधाओं को बेहतर करके जीवन स्तर को सुगम बनाना सम्मिलित है, जिनमें जीसीसी स्थापित किए जाते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश प्रोफेशनल्स तथा उनके परिवारों हेतु एक आकर्षक गंतव्य बन सके।

3.3. रणनीतिक उद्देश्य

उत्तर प्रदेश जीसीसी नीति के रणनीतिक उद्देश्य जीसीसी की स्थापना एवं विकास हेतु अनुकूल वातावरण को प्रोत्साहित करने हेतु विकसित किए गए हैं। इन उद्देश्यों का लक्ष्य उन प्रमुख कारकों को पुष्ट करना है, जो वैश्विक कंपनियों के भारत में निवेश करने के निर्णयों को प्रभावित करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्तर प्रदेश उच्च तकनीक, ज्ञान-आधारित (नॉलेज-बेस्ड) संचालन हेतु एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित होसके। नीति के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. विश्वस्तरीय अवस्थापना का निर्माण:

जीसीसी को आकर्षित करने हेतु भौतिक एवं डिजिटल अवस्थापना में निवेश महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त प्रौद्योगिकी पार्कों (टेक्नोलॉजी पार्क्स), एसईजेड एवं सह-कार्य स्थलों (को-वर्किंग स्पेसेज़)के विकास में निवेश किया जाएगा। प्रदेश में निर्बाध वैश्विक संचार हेतु उत्तम सड़क नेटवर्क, हाई-स्पीड इंटरनेट तथा उन्नत दूरसंचार अवस्थापना सुविधाओं सहित परिवहन कनेक्टिविटी की वृद्धि होगी। जीसीसी हेतु पर्यावरण के अनुकूल कार्यशैली एवं हरित भवन मानकों का समर्थन करने वाली टिकाऊ अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना पर केंद्रित कार्यवाही की जाएगी।

2. हब-स्पोक ऑपरेटिंग मॉडल:

जीसीसी विकसित करने हेतु एक हब-स्पोक मॉडल की परिकल्पना की गई है, जो व्यवसायों को उच्च विशेषज्ञ प्रतिभा, लागत अंतरपणन (Cost Arbitrage) एवं संचालन दक्षता का लाभ उठाने

में सहायता करता है। इस मॉडल के चार घटक हैं, अर्थात् -ग्लोबल हब, सैटेलाइट ऑफिस, आउटसोर्स सेंटर तथा आउट पोस्ट/क्लस्टर ऑफिस। ग्लोबल हब्स स्वतंत्र केंद्र होते हैं, जो सीधे मुख्यालय के साथ कार्य करते हैं। सैटेलाइट कार्यालय ग्लोबल हब के सहायक केंद्र होते हैं एवं राष्ट्रीय/क्षेत्रीय व्यापार रणनीति के साथ संरेखित होते हैं। आउटसोर्स केंद्र स्थानीय सहभागियों द्वारा स्थापित निष्पादन केंद्र होते हैं तथा इनका उत्तरदायित्व कंपनी की डिलीवरी का होता है। आउटपोस्ट/क्लस्टर कार्यालय सीमित भौतिक स्थान वाले विस्तारित सैटेलाइट कार्यालय होते हैं एवं स्थानीय कार्यबल की सुविधा प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से वर्क फ्रॉम होम होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार टियर-2 शहरों में सैटेलाइट कार्यालय एवं आउटसोर्स केंद्र तथा टियर-3 शहरों में आउटपोस्ट/क्लस्टर कार्यालय स्थापना पर केंद्रित कार्यवाही करेगी।

3. वित्तीय आकर्षण हेतु प्रोत्साहन:

उत्तर प्रदेश में जीसीसी में निवेश आकर्षित करने हेतु कर-छूट, सब्सिडी एवं पूंजीगत् अनुदान सहित वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। ये प्रोत्साहन कंपनी के कार्य-प्रदर्शन पर आधारित होंगे, जो रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि तथा प्रौद्योगिकी नवाचार पर केंद्रित होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा कंपनियों पर प्रशासनिक भार को कम करने हेतु इन प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा।

4. उद्योगों की आवश्यकताओं से कौशल संरेखण:

यह नीति शैक्षिक पाठ्यक्रम को जीसीसी सेक्टर की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने में सहायक होगीतथा यह सुनिश्चित करेगी कि स्नातकों के पास उच्च तकनीक वाले वातावरण में सफल होने हेतु आवश्यक कौशल हों; जिससे कार्यबल में कौशल अंतराल कम हो सके।

5. व्यावसायिक वातावरण में सुधार:

उत्तर प्रदेश सरकार व्यवसाय के अनुकूल विनियामक वातावरण का सृजन करेगी, जिसमें अनुपालन आवश्यकताओं का सरलीकरण, स्वीकृतियों हेतु आवश्यक समय को कम करना एवं सिंगल विंडो स्वीकृति प्रणाली प्रदान करना सम्मिलित है। प्रशासनिक बाधाओं को कम करके, राज्य का लक्ष्य वैश्विक कंपनियों द्वारा अपने संचालन को स्थापित करने तथा विस्तारित करने को सरल बनाना है।

6. जोखिम न्यूनीकरण एवं स्थायित्व:

यह नीति जीसीसी संचालन स्थायित्व सुनिश्चित करने हेतु जोखिम प्रबंधन रूपरेखा पर भी केंद्रित है। उक्त रूपरेखा साइबर सुरक्षा, भू-राजनीतिक परिवर्तनों एवं वैश्विक बाजार में परिवर्तनों से संबंधित जोखिम का भी निवारण करेगी। प्रदेश सरकार पर्यावरणीय स्थायित्व को भी प्राथमिकता देगी, जीसीसी को हरित कार्य-प्रथाओं के अंगीकरण तथा कार्बन फूटप्रिन्ट को कम करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. आर्थिक प्रभाव में वृद्धि करना:

प्रदेश सरकार का लक्ष्य जीसीसी के आर्थिक योगदान को प्रोत्साहित करना है, क्योंकि इसका रोजगार सृजन पर गुणक प्रभाव पड़ता है। यह सेक्टर शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु प्रवृत्त है, अतः जिन शहरों में जीसीसी स्थापित किए जाएंगे, वहां जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास व मनोरंजन सुविधाओं में निवेश यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर प्रदेश न केवल व्यवसाय हेतु अनुकूल गंतव्य है, अपितु प्रोफेशनल्स एवं उनके परिवारों के निवास हेतु एक वांछनीय स्थान भी है। इस समग्र दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप प्रतिभावां कर्मियों को रोकने में योगदान देगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रदेश में एक स्थायी एवं उच्च गुणवत्ता वाला कार्यबल सुलभ रहे।

4. वित्तीय प्रोत्साहन

4.1 पात्रता एवं परिभाषाएँ

4.1.1. प्रभावी तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि से यह नीति प्रभावी होगी।

4.1.2. प्रभावी अवधि का अभिप्राय प्रभावी तिथि से लेकर इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि (5 वर्ष) तक अथवा राज्य सरकार द्वारा इसमें कोई संशोधन या निरसन होने तक की अवधि से है।

4.1.3. पात्र इकाई का अभिप्राय ऐसे औद्योगिक उपक्रम (संयुक्त क्षेत्र या सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे औद्योगिक उपक्रम को छोड़ कर, जिसमें सरकार या सरकारी उपक्रम की शेयर पूंजी 50% या उससे अधिक हो) से है, जो किसी कंपनी, एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहकारी सोसायटी के स्वामित्व वाली संस्था अथवा एकायत फर्म (Proprietary concern) के रूप में गठित किसी इकाई के स्वामित्व में है, जिसके द्वारा प्रदेश में वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) परियोजना की स्थापना की जा रही हो।

4.1.4. वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) परियोजना का अभिप्राय किसी बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशन (एमएनसी) अथवा किसी भारतीय मूल की कंपनी जिसके द्वारा बहुराष्ट्रीय कारपोरेशन (एमएनसी) के रूप में वाणिज्यिक गतिविधि की जा रही हो, ऐसी कम्पनियों द्वारा स्थापित वैश्विक इन-हाउस केंद्र अथवा ऑफशोर इकाई से है, जो मूल कंपनी के पूर्ण स्वामित्व एवं संचालन में है तथा सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित, मानव संसाधन व अन्य बैक-ऑफिस संचालन में मूल कंपनी हेतु विशेष सेवाएं प्रदान करती हैं।

यद्यपि तृतीय पक्ष के आधार पर निम्नलिखित गतिविधियाँ इस नीति के अंतर्गत जीसीसी के रूप में पात्र <u>नहीं</u> होंगी-

क) प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, संचालन, डिजिटल कार्यों हेतु सेवा-प्रदाता अथवा उत्पाद/समाधान/प्लेटफॉर्म के विकास का समर्थन करने वाले इंटीग्रेटर

ख) प्रतिभावान कर्मीअथवा आकस्मिक स्टाफ (Contingency Staff) को आउटसोर्स करके राजस्व अर्जित करने वाली स्टाफिंग कंपनियाँ

ग) भारत एवं निकटवर्ती के क्षेत्रों में उत्पाद अथवा कस्टमाइज्ड उपकरण/सॉफ्टवेयर विक्रय करने वाली विशुद्ध बिक्री संस्थाएं (Pure play sales entities)

घ) व्यावसायिक सेवा कंपनियाँ

4.1.5. पूंजीगत निवेश का अभिप्राय पात्र इकाई द्वारा वहन की जाने वाली लागतों से है, जिनको इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु उनकी श्रेणी निर्धारित करने हेतु स्वीकार्य माना जाएगा। इसमें उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.1.6 में यथा परिभाषित-भूमि, भवन एवं निर्माण, संयंत्र व मशीनरी (कंप्यूटर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, नेटवर्किंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर व पात्र इकाई के संचालन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित अचल संपत्तियां) एवं अवस्थापना सुविधाओं पर किए गए व्यय सम्मिलित होंगे।

इसके अतिरिक्त, विद्यमान फिक्सचर्स (fixtures) को पुनः संयोजित (retrofit) करने हेतु इकाइयों द्वारा किए गए व्यय का 50% भी सम्मिलित किया जाएगा, यदि इस प्रकार के मूल्य को इकाइयों द्वारा पूंजीकृत (capitalize) किया जाता है। यदि पात्र इकाई द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया जाता है, तो भूमि लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि परियोजना किराये/सह-कार्यशील स्थान (co-working space) से संचालित की जाती है, तो भूमि एवं भवन की लागत को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

4.1.6. अपात्र पूंजीगत निवेश में कार्यशील पूंजी; सद्भावना; प्रारंभिक एवं संचालन-पूर्व व्यय; पूंजीकृत ब्याज; रॉयल्टी; डिजाइन व चित्र; तथा कैप्टिव उपयोग को छोड़ कर विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। पूंजीगत निवेश की गणना हेतु ऐसे शीर्षों पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.1.7. प्रोत्साहनों को वितरित करने हेतु निम्नलिखित न्यूनतम निवेश एवं रोजगार प्रतिबद्धता-आधारित परियोजना श्रेणियों को चिन्हित किया गया है:

श्रेणी	न्यूनतम निवेश एवं रोजगार मानदंड
स्तर-1	उत्तर प्रदेश में कहीं भी (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़ कर)

जी सी सी	₹15 करोड़ एवं उससे अधिक का न्यूनतम पूंजी निवेश तथा गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में ₹20 करोड़ एवं उससे अधिक का पूंजी निवेश; अथवा न्यूनतम 200 से अधिक कर्मचारियों हेतु रोजगार सृजन (गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद हेतु). अन्य किसी जनपद में न्यूनतम 100 से अधिक कर्मचारियों हेतु रोजगार सृजन।
उन्नत जी सी सी	उत्तर प्रदेश में कहीं भी (गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़ कर (₹50 करोड़ एवं उससे अधिक का न्यूनतम पूंजी निवेश तथा गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में ₹75 करोड़ एवं उससे अधिक का पूंजी निवेश; अथवा न्यूनतम 500 से अधिक कर्मचारियों हेतु रोजगार का सृजन(गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद हेतु), अन्य किसी जनपद में न्यूनतम 300 से अधिक कर्मचारियों हेतु रोजगार सृजन।

4.1.8. निवेश प्रारंभ करने की तिथि का अभिप्राय 'कट-ऑफ तिथि' से है, जो नीति की प्रभावी अवधि के भीतर आती है, यदि निवेश नीति की प्रभावी तिथि को या उसके पश्चात प्रारम्भ होता है।

यद्यपि ऐसे प्रकरण भी आच्छादित होंगे, जहां निवेश प्रारंभ करने की तिथि प्रभावी तिथि से पूर्व 5 वर्ष की अवधि के भीतर है, बशर्ते कि ऐसी दशा में वाणिज्यिक संचालन प्रभावी तिथि के पश्चात प्रारम्भ होता है तथा न्यूनतम 80% पूंजी निवेश प्रभावी तिथि के उपरांत किया गया हो। ऐसे प्रकरणों में नीति की प्रभावी तिथि ही कट-ऑफ तिथि होगी।

4.1.9. वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने की तिथि का अभिप्राय उस तिथि से है, जिस तिथि को औद्योगिक उपक्रम द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ किया जाता है।

4.1.10. पात्र निवेश अवधि का अभिप्राय इस नीति की प्रभावी अवधि में आने वाली कट-ऑफ तिथि से आरंभ होकर 3 वर्ष तक की अवधि अथवा व्यावसायिक उत्पादन

प्रारंभ होने की तिथि तक, जो भी स्तर-1 जीसीसी इकाई हेतु पहले हो, से है तथा समान अवधि उन्नत जीसीसी इकाई हेतु 5 वर्ष तक सीमित होगी।

4.1.11.पात्र पूंजी निवेश (ईसीआई) का अभिप्राय ऐसे पूंजीगत निवेश से है, जो पात्र इकाई द्वारा नीति की प्रभावी तिथि के उपरांत अपनी पात्र निवेश अवधि में किया गया है। यदि इकाई द्वारा पूंजी निवेश प्रभावी तिथि से पूर्व प्रारंभ किया गया है, तो ऐसे पूंजी निवेश का न्यूनतम 80% नीति की प्रभावी तिथि के पश्चात् किया जाना चाहिए एवं उसी पूंजी निवेश को पात्र पूंजी निवेश माना जाएगा। यद्यपि, परियोजना श्रेणी निर्धारित करने हेतुऐसे पूंजी निवेश का 100% विचारित किया जाएगा।

4.1.12.कर्मचारियों का अभिप्राय ऐसे नियोजित व्यक्ति से है, जो इकाई के वेतन पत्रक (Pay roll) पर है। इसमें कंपनी के निदेशक मंडल के समस्त सदस्य एवं कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित समस्त प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) सम्मिलित नहीं होंगे।

4.1.13.विस्तारीकरण का अभिप्राय उस स्थिति से है, जब उत्तर प्रदेश में पूर्व से ही संचालित इकाई द्वारा नये पूंजीगत निवेश के माध्यम से अपने विद्यमान/सन्निहित परिसर में अपने विद्यमान सकल ब्लॉक में न्यूनतम 25% की वृद्धि की जा रही हो।

अथवा

पे-रौल पर नियोजित जनशक्ति/कार्मिकों की संख्या में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि या 100 कार्मिकों की वृद्धि में से जो अधिक हो उस इकाई को भी विस्तारीकरण का पात्र माना जाएगा।

4.1.14.नोडल एजेंसी का अभिप्राय इन्वेस्ट यूपी से है, जो इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों हेतु आवेदनों के प्रक्रमण / पर कार्यवाही करने हेतु उत्तरदायी होगी।

4.2. प्रोत्साहन-लाभ

इस नीति में परिभाषित पात्र इकाइयों की नवीन एवं विस्तारीकरण करने वाली परियोजनाओं को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे -

4.2.1. फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी: राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण, नगरीय स्थानीय निकाय अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी से भूमि आवंटन किए जाने पर पात्र स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयों को निम्नलिखित दरों पर फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी-

क) गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में 30%

ख) पश्चिमांचल (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद को छोड़कर)एवं मध्यांचल क्षेत्रमें40%

ग) पूर्वांचल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 50%

किसी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी द्वारा पात्र इकाई को रियायत के सापेक्ष प्रदान की गई ऐसी भूमि, पात्र निवेश अवधि या वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने तक, जो भी पहले हो, संबंधित सरकारी निकाय के पास बंधक (Mortgaged) रहेगी। उल्लिखित निर्धारित समयावधि के भीतर परियोजना को पूर्ण करने में विफल रहने पर, संबंधित सरकारी निकाय 12% प्रति वर्ष की ब्याज दर से भूमि पर प्रदान की गई सब्सिडी वसूल करेगा।

यदि परियोजना किराये/सह-कार्य स्थान पर संचालित हो रही हो तो इस प्रकार की भूमि सब्सिडी लागू नहीं होगी।

फ्रंट एंड लैण्ड सब्सिडी की धनराशि की प्रतिपूर्ति का व्यय का वहन औद्योगिक विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

4.2.2. स्टाम्प ड्यूटी में छूट/प्रतिपूर्ति: पात्र जीसीसी इकाइयों को प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि/कार्यालय स्थान/भवन की खरीद/पट्टे पर स्टाम्प ड्यूटी की 100% छूट/प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह छूट, प्राप्त छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी, जिसको पात्र निवेश अवधि के भीतर

वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने पर इकाई को वापस कर दिया जाएगा। जबकि स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात् की जाएगी।

4.2.3. **पूंजीगत सब्सिडी**: पात्र निवेश अवधि के भीतर वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात् स्तर-1 जीसीसी इकाई को अधिकतम ₹10 करोड़ की सीमा के अधीन एवं उन्नत जीसीसी इकाई को अधिकतम ₹25 करोड़ की सीमा के अधीन 7 समान वार्षिक किस्तों में पूंजीगत सब्सिडी पात्र पूंजी निवेश के 25% की दर से प्रदान की जाएगी। यदि पात्र इकाई द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु फ्रंट-एंड भूमि सब्सिडी का लाभ प्राप्त किया गया है, तो भुगतान की गई भूमि लागत/स्टाम्प शुल्क को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार किराया प्रभार/पट्टा प्रभार को पूंजीगत निवेश में सम्मिलित नहीं किया जाएगा यदि परियोजना किराए पर/सह-कार्यशील स्थान से संचालित होती है।

4.2.4. **ब्याज सब्सिडी**: किसी भी पात्र जीसीसी इकाई द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी के निर्माण एवं क्रय तथा परियोजना स्थल पर अन्य अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु लिए गए ऋण पर अनुसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त आवधिक ऋण पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सब्सिडी या वास्तविक भुगतान किया गया ब्याज, जो भी कम हो, प्रदान किया जाएगा, जो वाणिज्यिक संचालन के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रति इकाई अधिकतम ₹1 करोड़ प्रति वर्ष तक होगा।

4.2.5. **संचालन व्यय (ओपेक्स) सब्सिडी**: संचालन व्यय पर 20% की दर से सब्सिडी, जिसमें पट्टा किराया, बैंडविड्थ व्यय, डेटा सेंटर/क्लाउड सेवा लागत एवं विद्युत प्रभार सम्मिलित हैं, स्तर-1 जीसीसी इकाइयों हेतु प्रति वर्ष अधिकतम ₹40 करोड़ एवं उन्नत जीसीसी इकाइयों हेतु वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात् 5 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम ₹80 करोड़ तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

क) यहां, पट्टा किराये में सभी पट्टे वाले स्थान (प्लग एंड प्ले सुविधाएं / सह-कार्य सुविधाएं सहित) सम्मिलित होंगे, जिनका अधिकतम मासिक किराया ₹50 प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया होगा।

ख) विद्युत प्रभार का अभिप्राय विद्युत बिलों की लागत से है। राज्य सरकार पात्र इकाइयों को औद्योगिक दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। अतः मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा पृथक से अधिसूचना जारी की जाएगी।

ग) इसी प्रकार, बैंडविड्थ व्यय केवल लाइसेंस प्राप्त इंटरनेट सेवा-प्रदाताओं को किए गए भुगतान हेतु स्वीकार्य होगा।

(घ) डाटा सेंटर तथा/अथवा क्लाउड सेवाएं उत्तर प्रदेश स्थित उन सेवा-प्रदाताओं से प्राप्त की जाएंगी, जिनके पास उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत वैध जीएसटीआईएन हो तथा जिससे सेवाओं हेतु चालान जारी किया गया हो।

4.2.6. वेतन-पत्र (Pay roll) सब्सिडी: स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी को न्यूनतम 1 वर्ष के निरंतर रोजगार वाले ऑन-रोल कर्मचारियों (अनुसंधान एवं विकास में संलग्न कार्मिकों सहित) को दिए गए वेतन तथा परिलब्धियों की लागत की प्रतिपूर्ति निम्नवत प्राप्त होगी।

क) गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों में :- उत्तर प्रदेश के अधिवासी कर्मचारियों अथवा महिला/अनुसूचित जाति /जनजाति /ट्रांसजेंडर/दिव्यांगजन कर्मचारियों के प्रकरण में सब्सिडी की राशि वाणिज्यिक सञ्चालन के पश्चात इकाई को आगामी 3 वर्ष में निम्नवत अनुमन्य होगी :

सञ्चालन का वर्ष	अनुमन्य पे रोल सब्सिडी प्रतिशत	अधिकतम सीमा
प्रथम	35 %	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 35% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 5 लाख में से जो कम हो ।
द्वितीय	30 %	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 4 लाख में से जो कम हो ।
तृतीय	25%	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 3 लाख में से जो कम हो ।

पे रोल सब्सिडी 3 वर्ष की अवधि हेतु स्तर -1 की इकाई को अधिकतम ₹10 करोड़ प्रति वर्ष तक होगा। उन्नत जीसीसी की दशा में उक्त को अधिकतम ₹20 करोड़ अनुमन्य होगा |

इस सब्सिडी के प्रयोजन हेतु एक वितीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा कार्मिक के हेतु निरंतर बनाए रखे गए रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा। इस मद में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में १२ माह से कम कार्य करने वाले कार्मिक को इस हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा |

गौतमबुध नगर एवं गाजियाबाद के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य क्षेत्र में स्थापित जीसीसी : उत्तर प्रदेश के अधिवासी कर्मचारियों अथवा महिला/अनुसूचित जाति /जनजाति /ट्रांसजेंडर/दिव्यांगजन कर्मचारियों के प्रकरण में सब्सिडी की राशि वाणिज्यिक सञ्चालन के पश्चात इकाई को आगामी 4 वर्ष में निम्नवत अनुमन्य होगी

सञ्चालन का वर्ष	अनुमन्य पे रोल सब्सिडी प्रतिशत	अधिकतम सीमा
प्रथम	50%	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 50 % या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 7 लाख में से जो कम हो |
द्वितीय	40%	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 40% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 6 लाख में से जो कम हो |
तृतीय	30%	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 30% या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 5लाख में से जो कम हो |
चतुर्थ	25 %	कार्मिक को मिलने वाले वेतन का 25 % या कुल वार्षिक वेतन का अधिकतम 4 लाख में से जो कम हो|

गौतमबुध्द नगर एवं गाजियाबाद के अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में स्थापित होने वाली स्तर -1 की इकाई को इकाई को पे रोल सब्सिडी 4 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम ₹12 करोड़ प्रति वर्ष तक होगा। उन्नत जीसीसी की दशा में उक्त सीमा प्रति वर्ष अधिकतम ₹25 करोड़ तक होगा|

इस सब्सिडी के प्रयोजन हेतु एक वितीय वर्ष के दौरान इकाई द्वारा कार्मिक के हेतु निरंतर बनाए रखे गए रोजगार के आधार पर विचार किया जाएगा। इस मद में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने में 12 माह से कम कार्य करने वाले कार्मिक को इस हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

नोट- पे-रोल सब्सिडी हेतु जीसीसी इकाई द्वारा नियोजित ऐसे कार्मिक जिन्हें नेट वेतन रू. 1.00लाख से अधिक मिलती है उन्हें इसका पात्र माना जाएगा।(मूल वेतन + महगाई भत्ता के समरूप इण्डस्ट्री बेस्ट गुड प्रक्टिस फार्मूला पर महज वो सकल वेतन केवल जो कर्मचारी के खाते में कम्पनी द्वारा हस्तांतरित किया जाता है। इसमें अन्य सीमान्त लाभ जैसे कि आवास कियारा भत्त, वाहन भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति इत्यादि सम्मिलित नहीं है)

4.2.7. भर्ती (Recruitment) सब्सिडी: उत्तर प्रदेश में स्थित इकाइयों में उत्तर प्रदेश के अधिवासी प्रत्येक नए कर्मचारी को ₹20,000 की दर से नवीन कर्मचारियों की भर्ती हेतु किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को ऐसी सब्सिडी प्रदान की जाएगी, बशर्ते कि न्यूनतम 1 वर्ष तक निरंतर रोजगार हो एवं अधिकतम वार्षिक भर्ती में न्यूनतम 30 नवीन कर्मचारी उत्तर प्रदेश के अधिवासी हों। यह सब्सिडी किसी विशिष्ट इकाई हेतु अधिकतम ₹5 करोड़ तक सीमित होगी।

ऐसे नए कर्मचारी (फ्रेशर्स) की भर्ती सब्सिडी केवल उन कर्मचारियों हेतु लागू है, जिन्हें अपनी पहली नौकरी हेतु भर्ती किया गया है तथा जो उत्तर प्रदेश के अधिवासी हैं एवं जिन्होंने केवल उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से स्नातक/स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। इस प्रकार के प्रोत्साहन का लाभ संचालन प्रारंभ होने से 5 वर्ष की अवधि हेतु उठाया जा सकता है।

4.2.8. कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अंशदान की वापसी: किसी भी पात्र जीसीसी इकाई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ता के अंशदान के रूप में महिला/अनुसूचित जाति /जनजाति /ट्रांसजेंडर/दिव्यांगजन कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अधिवासियों हेतु भुगतान की गई कुल ईपीएफ राशि की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने के पश्चात 3 वर्षों हेतु ₹2000 प्रति कर्मचारी प्रति माह की दर से, अधिकतम ₹1 करोड़ प्रति वर्ष होगी।

4.2.9. पात्र जीसीसी इकाई को प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन:

क) प्रशिक्षुता(इंटर्नशिप) के अवसर सृजित करने हेतु सहायता लागत के 50% की दर से प्रतिपूर्ति के रूप में, जिसकी अधिकतम सीमा ₹5,000 प्रति छात्र

प्रति माह होगी, वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने के पश्चात् 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रति वर्ष अधिकतम 50 प्रशिक्षुओं तक सीमित होगी, जो पात्र इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में स्थित शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों एवं उत्तर प्रदेश के अधिवासी छात्रों को स्टाइपेंड देने हेतु किया जाएगा। इंटर्नशिप इकाई के कार्य-स्थल पर ही होनी चाहिए तथा न्यूनतम 2 माह तक संचालित होनी चाहिए।

ख) कौशल विकास सब्सिडी: पात्र इकाई द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की लागत के 50% की दर से प्रतिपूर्ति के रूप में कौशल विकास सब्सिडी या पाठ्यक्रम शुल्क हेतु प्रति कर्मचारी ₹50,000 का लाभ पात्र इकाई द्वारा संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि हेतु अधिकतम 500 कर्मचारियों हेतु प्रति वर्ष ₹50 लाख की सीमा के अधीन उठाया जा सकता है।

4.2.10. अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार हेतु प्रोत्साहन: चूंकि नीति का उद्देश्य जीसीसी उद्योग में निवेश को आकर्षित करने एवं बनाए रखने हेतु एक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना भी है, अतः नीति के अंतर्गत स्टार्टअप्स एवं उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) को प्रोत्साहित किया जाएगा।

क) उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु अनुदान सहायता: राज्य में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयों को उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे उत्कृष्टता केंद्र हेतु प्रोत्साहन-लाभ उ. प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के प्रस्तर 12.6 के अनुसार प्रदान किए जाएंगे। ऐसे उत्कृष्टता केंद्र शैक्षणिक संस्थानों/उद्योग संघों/किसी अन्य सार्वजनिक संस्थाओं के सहयोग से स्थापित किए जा सकते हैं।

ख) स्टार्ट-अप विचार (Ideation): पारिस्थितिकी तंत्र में स्टार्ट-अप्स/उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतुस्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयों को स्टार्ट-अप्स की परिकल्पना/प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट संचालन अथवा समस्या-समाधान करने में व्यय होने वाली लागत के 50% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जो

वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्ष के भीतर इकाई में ऐसे अनुसंधान एवं विकास /स्टार्टअप गतिविधि प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष हेतु प्रति वर्ष ₹50 लाख की सीमा के अधीन होगी।

ग) बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) सब्सिडी: राज्य सरकार द्वारा पात्र जीसीसी इकाई को पेटेंट दाखिल करने हेतु वैधानिक शुल्क का 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, घरेलू पेटेंट हेतु अधिकतम ₹5 लाख एवं अंतरराष्ट्रीय पेटेंट हेतु ₹10 लाख की सीमा के अधीन होगी। इस प्रोत्साहन का दावा नीतिकी प्रभावी अवधि के दौरान दो बार तथा किसी भी पात्र जीसीसी द्वारा प्रति वर्ष एक बार केवल प्राप्त किए गए पेटेंट परकिया जा सकता है।

4.2.11. केस-टू-केस प्रोत्साहन: इस नीति में परिभाषित स्तर-1 एवं उन्नत जीसीसी इकाइयां निम्नलिखित अर्हता मानदंडों के अधीन, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने पर केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों के कस्टमाइज्ड पैकेज का लाभ उठाने हेतु पात्र होंगी-

क) न्यूनतम 1500 कार्मिको को नियोजित करना |

(ख) इकाई कंपनी द्वारा 250 करोड़ से अधिक कैपिटल निवेश (भूमि की लागत छोड़कर)| लीज रेंट पर

(ग) इकाई कंपनी द्वारा फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट निवेश कम से कम 50 करोड़ रूपये| इस हेतु कैपिटल निवेश (भूमि और भवन स्वयं निर्मित करने की दशा में) अथवा वार्षिक परिचालन (रेंट पर सञ्चालन करने की दशा में) व्यय के वित पोषण में ऍफ़ डी आई के रूप में निवेश के माध्यम को कंसीडर किया जायेगा |(एफडीआई की परिभाषा वही मान्य होगी जो फारेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट(एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई) एवं फार्च्यून ग्लोबल 500 निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 में परिभाषित है)।

(घ) ग्लोबल फार्च्यून 500(होल्डिंग/पैरेन्ट कम्पनी) एवं फार्च्यून इण्डिया 500(होल्डिंग/पैरेन्ट कम्पनी) में सूचीबद्ध ऐसी कम्पनी जिसके द्वारा न्यूनतम 1000 कार्मिक नियोजित किया जा रहा हो |

ऐसे कस्टमाइज्ड पैकेजों को केस-टू-केस आधार पर माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

5. गैर-वित्तीय सहायता

5.1. जीसीसी हेतु तकनीकी सहायता समूह:

प्रदेश में संचालन स्थापित करने वाले जीसीसी को सहायता प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक समर्पित तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी.) की स्थापना करेगी।

क) संरचना: इस प्रकार के तकनीकी सहायता समूह की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश सरकार के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव करेंगे तथा इसमें उद्योग जगत के विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे, जिनको उद्योग-जगत से सुदृढ संबंध, कॉर्पोरेट मामलों, जीसीसी उद्योग, जैसे नैसकॉम, एसटीपीआई आदि में भागीदारी का व्यापक अनुभव होगा। इसमें ग्लोबल लीडर्स सम्मिलित होंगे, जिनमें शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जीसीसी के सी.एक्स.ओ., अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ एवं व्यापार रणनीति व नवाचार का नेतृत्व सम्मिलित होगा। इससे राज्य की जीसीसी पहलों का मार्गदर्शन करने हेतु दृष्टिकोण एवं अनुभवों की समृद्ध विविधता सुनिश्चित होगी।

उपर्युक्त व्यक्तिओं को प्रति वर्ष आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग द्वारा पृथक शासनादेशों द्वारा नामित किया जाएगा। इस समूह द्वारा प्रदेश में उद्योग की प्रगति एवं मुद्दों की समीक्षा करने हेतु त्रैमासिक बैठक की जाएगी।

ख) भूमिका: तकनीकी सहायता समूहकी योजना राज्य की जीसीसी पहलों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बनाई जा रही है, जो वैश्विक व्यापार प्रचलन एवं क्षेत्रीय विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित रणनीतिक मार्गदर्शन तथा अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा।

(i) तकनीकी सहायता समूह उद्योग को प्रोत्साहित करने एवं उसके मुद्दों के निवारण हेतु उत्तरदायी होगा तथा मुख्य रूप से निवेशकों की सुविधा पर केंद्रित कार्यवाही करेगा।

(ii) तकनीकी सहायता समूह जीसीसी एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य प्राथमिक समन्वय केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिससे राज्य में नए एवं विद्यमान जीसीसी का सुचारू संचालन सुनिश्चित होगा।

(iii) तकनीकी सहायता समूह जीसीसी इकाइयों को नीतियों, विनियमों एवं अनुपालन पर व्यापक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा, जिससे कंपनियों को सभी कानूनी तथा प्रशासनिक आवश्यकताओं के संबंध में भली प्रकार से जानकारी मिल सके।

(iv) यह सी.एक्स.ओ. एवं उद्योग-जगत के नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श में भी सुविधा प्रदान करेगा, जिससे स्थानांतरण मूल्य, आयात/निर्यात विनियमन तथा टैक्सेशन जैसे विषयों पर भारत सरकार को नीतिगत संस्तुतियाँ की जा सकेंगी।

5.2. लिंकेज समर्थन:

क) वाणिज्यिक स्थान: राज्य सरकार रियल एस्टेट भागीदारों के साथ मिलकर, मण्डल-वार लाइव डिजिटल पोर्टल के विकास की सुविधा प्रदान करेगी, जिससे जीसीसी इकाइयों को प्रदेश में उपलब्ध वाणिज्यिक स्थानों की सूची का पता लगाने हेतु वन-स्टॉप प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, जिससे आदर्श स्थानों की सूचना आसानी से प्राप्त होगी। प्रथम चरणमें, यह मुख्य रूप से नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर एवं मेरठ जैसे शहरों पर केंद्रित रहेगा।

ख) तकनीकी सहभागिता: राज्य सरकार जीसीसी को स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों, स्टार्टअप एवं इनक्यूबेटरों से जुड़ने, प्रतिभावां व्यक्तियों की भर्ती को बढ़ावा देने, उद्योग-विशिष्ट कौशल कार्यक्रम विकसित करने, सहयोगी अनुसंधान को प्रोत्साहित करने तथा खुले नवाचार (open innovation) को प्रोत्साहित करने में भी मदद करेगी। इस उद्देश्य हेतु तकनीकी सहायता समूह उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के साथ समन्वय करेगा।

5.3. विनियामक समर्थन:

क) राज्य में किसी भी पात्र जीसीसी इकाई हेतु 25 केवीए से अधिक क्षमता के विद्युत उत्पादन सेटों को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के दायरे से छूट।

ख) राज्य में किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को विशिष्ट शिकायतों से उत्पन्न निरीक्षणों को छोड़ कर, निम्नलिखित अधिनियमों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निरीक्षण से छूट। इस प्राविधान के अंतर्गत इकाइयाँ हर 5 वर्ष में एकमात्र निरीक्षण हेतु पात्र होंगी।

i. कारखाना अधिनियम

ii. मातृत्व लाभ अधिनियम

iii. उ.प्र. दुकान और वाणिज्यिक अधिष्ठान अधिनियम

iv. ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम

v. मजदूरी संदाय अधिनियम

vi. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

vii. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम 1959

पात्र इकाइयों को स्व-प्रमाणन दाखिल करने की अनुमति होगी (समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है)।

ग) किसी भी पात्र जीसीसी इकाई को 24x7 संचालन (तीन शिफ्टों में संचालन हेतु) तथा तीनों शिफ्टों में महिलाओं को रोजगार देने की अनुमति। यथावश्यकता राज्य सरकार द्वारा कतिपय पात्र जीसीसी इकाइयों को 'आवश्यक सेवाओं'/जनोपयोगी सेवाओं के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है।

घ) फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर): पात्र जीसीसी इकाइयों पर एफएआर 3 एवं 1 (उस समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) लागू।

ङ) इकाइयां घर से कार्य करने वाले उत्तर प्रदेश में स्थित कर्मचारियों/उत्तर प्रदेश में स्थित ऐसे अन्य परिसरों के संबंध में इस नीति के अंतर्गत प्रदान किए गए रोजगार सृजन सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति एवं अन्य रोजगार से संबंधित लाभों हेतु पात्र होंगी।

6. कार्यान्वयन संरचना

6.1. यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी तथा 5 वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगी।

6.2. इस नीति में परिभाषित नोडल एजेंसी, इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन-लाभों हेतु आवेदनों का प्रक्रमण करेगी। नोडल एजेंसी में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्थापित की जाएगी, जिसमें आउटसोर्स्ड प्रोफेशनल्स तथा परामर्शियों के साथ पर्याप्त स्टाफ होगा, जो एक नामित नोडल अधिकारी- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी की अध्यक्षता में आवेदनों एवं सिंगल विंडो संचालन के प्रबंधन में सहायता करेगा।

उक्त पीआईयू आवेदन प्राप्त करेगी एवं उनका प्रक्रमण करेगी, जो इस नीति हेतु नोडल एजेंसी के सचिवालय के रूप में कार्य करेगी। नोडल एजेंसी द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, कॉस्ट अकाउंटेंट, जीएसटी ऑडिटर आदि को भी व्यक्तियों या फर्मों या संस्थाओं के रूप में सूचीबद्ध (Empanel) करेगी।

6.3. आवेदनों के मूल्यांकन हेतु इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में गठित मूल्यांकन समिति (उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रम में निर्गत एस.ओ.पी. विषयक शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022, दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-5.2.1 के अनुसार) आवेदनों का मूल्यांकन करेगी एवं अग्रेतर संस्तुतियों हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करेगी।

6.4. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता वाली एक 'प्राधिकृत समिति' (ईसी) (उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रम में निर्गत एस.ओ.पी. विषयक शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-5.3.1 के अनुसार) स्तर-1 जीसीसी आवेदनों की अग्रेतर समीक्षा करेगी एवं संस्तुति करेगी। प्राधिकृत समिति की संस्तुति पर मा0 मंत्री, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता वाली एक 'उच्च-स्तरीय प्राधिकृत समिति' (एचएलईसी) (उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के क्रम में निर्गत एस.ओ.पी. विषयक शासनादेश संख्या-21/2023/1307/77-6-23-2(एम)/2022 दिनांक 14.04.2023 के प्रस्तर-2 के उपप्रस्तर-5.3.2 के अनुसार) उन्नत जीसीसी के आवेदनों तथा प्रोत्साहन हेतु केस-टू-केस आवेदनों के अनुमोदन हेतु संस्तुति करेगी। 'उच्च-स्तरीय प्राधिकृत समिति' की संस्तुति पर मा0 मंत्रि-परिषद द्वारा अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

6.5. नीति या उसके पश्चात् दिशा-निर्देशों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अनुसार यदि आवेदक द्वारा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने से पूर्व अनुरोध किया जाता है, तो प्राधिकृत समितियों को चरणों की संख्या एवं उनकी अवधि में परिवर्तन, कट-ऑफ तिथि में परिवर्तन, समान श्रेणी में पूंजी निवेश में परिवर्तन, तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि आदि में परिवर्तन को अनुमोदन प्रदान का अधिकार भी होगा। प्राधिकृत

समिति की संस्तुति विभागीय मंत्री के अवलोकनोपरांत निर्गत की जाएंगी। एचएलईसी को नीति के विषय में कोई भी स्पष्टता या व्याख्या करने तथा नीति के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान करने का अधिकार होगा। उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति की संस्तुति विभागीय मंत्री के अवलोकनोपरांत निर्गत की जाएंगी।

6.6. नीति में संशोधनों को अनुमोदित करने हेतु केवल मा. मंत्रिपरिषद ही अधिकृत होगी। इस नीति में किसी भी संशोधन की स्थित में, नीति में संशोधन से पूर्व स्वीकृत किए गए प्रोत्साहनों के प्रतिबद्ध पैकेज को वापस नहीं लिया जाएगा एवं इकाई लाभ हेतु पात्र बनी रहेगी।

6.7. इस नीत के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की किसी अन्य नीति/योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होंगी। इस नीति में निर्दिष्ट समस्त प्रोत्साहन-लाभ भारत सरकार की किसी भी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त प्राप्त किए जा सकते हैं।